/1

संख्या 2022/उन्तीस(2)/06–(43पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 09 नवम्बर, 2006

विषयः– नगरीय पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग की पेयजल योजना सुदृढ़ीकरण/पुनर्गठन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग की नगरीय पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण/पुनर्गठन हेतु रू0 110.98 लाख के आगणन पर शासनादेश संख्या 776/उन्तीस/04/2(43पे0)/2004 टी0सी0 दिनांक 29.03.2005 द्वारा प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही रू0 50.00 लाख एंव शासनादेश संख्या 175/उन्तीस(2)/05(25पे0)/2005 दिनांक 29.07.2005 द्वारा रू0 20.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। तदविषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 2869/वि0अनु0 अनुदान/2006–07 दिनांक 12.09.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् योजना के संशोधित आंगणन रू0 140.03 लाख की लागत के प्राक्कलन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 131.90 लाख की लागत की पुनरीक्षित प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त रू0 70.00 लाख की धनराशि को कम करते हुए स्वीकृत हेतु अवशेष रू0 61.90 लाख (रूपये इक्सठ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में नगरीय पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29.03.2005 एंव 29.07.2005 में निर्धारित शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर युक्त बिल कोषगार में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार किस्तों में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

3– अब पुनः उक्त योजना की लागत में किन्ही भी कारणों से कोई अन्य पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा। यदि लागत पुनरीक्षित होती है तो उसे अपने संसाधनो से ही वहन किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाये तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

.....2

5– शेष शर्ते शासनादेश संख्या 776/उन्तीस(2)/04/2(43पे0)/2004 टी0सी0 दिनांक 29.03.2005 एवं शासनादेश संख्या 175/उन्तीस(2)/05(25पे0)/ 2005 दिनांक 29.07.2005 के अनुसार यथावत रहेगी।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत –101–शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1037/XXVII(2)/06 दिनांक 07 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह),
अपर सचिव

पृ0स0 2022/उन्तीस(2)/06–(43पे0)/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल जल संस्थान, पौडी।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
9. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव